रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 9] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 14, 1975/पौष 24, 1896
No. 9] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 14, 1975/PAUSA 24, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION

(Department of Food)

ORDER

New Delhi, the 14th January 1975

G.S.R. 9(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Inter-Zonal Wheat and Wheat Products (Movement Control) Order, 1973, namely:—

1. (1) This Order may be called the Inter-Zonal Wheat and Wheat Products (Movement Control) Amendment Order, 1975.

(2) It shall come into force at once.

2. In the Inter-Zonal Wheat and Wheat Products (Movement Control) Order, 1973, in clause 2,—

(i) for sub-clause (b), the following sub-clause shall be substituted, namely:—

'(b) "external border area" means the area within a ten-mile belt inside a Zone and adjoining the territory of any foreign country;';

(ii) for sub-clause (h), the following sub-clause shall be substituted, namely:—

'(h) "zonal border area" means the area within a five-mile belt inside a Zone and adjoining—

(i) another Zone; or

(ii) the sea; or

(iii) the territories of Nepal, Bhutan or Sikkim.'.

[No. 4(Genl)(6)/74-WT(I)-18]

L. C. GUPTA, Jt. Secy.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 1975

सा० का० नि० 9(अ).—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार अन्तः क्षेत्रीय गेहूं और गेहूं उत्पाद संचलन नियंत्रण आदेश, 1973 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात :—

1. (1) इस आदेश का नाम अन्तः क्षेत्रीय गेहूं और गेहूं उत्पाद (संचलन नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1975 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. अन्तः क्षेत्रीय गेहूं और गेहूं उत्पाद (संचलन नियंत्रण) आदेश, 1973 में, खण्ड 2 में,—

(i) उपखण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रखा जाएगा, अर्थात :—

'(ख) "बाह्य सीमा क्षेत्र" से किसी अंचल (जोने) के भीतर और किसी विदेशी राज्यक्षेत्र से संलग्न क्षेत्र के दस मील की पट्टी के भीतर का क्षेत्र अभिप्रेत है;';

(ii) उपखण्ड (ज) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रखा जाएगा, अर्थात :—

'(ज) "आन्चलिक (जोनल) सीमा क्षेत्र" से किसी अंचल (जोन) के भीतर और

(i) अन्य अंचल (जोन); या

(ii) समुद्र; या

(iii) नेपाल, भूटान या सिक्किम के राज्यक्षेत्रों से संलग्न पांच मील की पट्टी के भीतर का क्षेत्र अभिप्रेत है'।

[सं० 4 (सा०) (6)/74-डब्ल्यू०टी०(1)-18]

एल० सी० गुप्ता, संयुक्त सचिव, ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975